BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 17 फरवरी 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 30,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सुन्दर पुत्र शीशराम निवासी ग्राम गेसूपुर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2016 में अपने गांव निवासी एक व्यक्ति सतीश कुमार की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 17.02.2016 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 144/2016 धारा 302,201,34 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 21.03.2016 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 11 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 17.02.2025 को न्यायाधीश श्री मंजित सिंह(मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायधीश जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुन्दर को आजीवन कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री मनुराज सिंह व श्री प्रवीण राणा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर